

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं (राजनीति विज्ञान) का उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम कार्मिक भय पदस्थापन रथान	अवधि	स्थान जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
01	02	03	04
1.	दिनेश चन्द्र भिर्धा-राजमावि ढाडरिया कला, डेगाना, नागौर	माह मार्च 2021 से आगामी आदेश तक	राजमावि कुचेरा, नागौर में व्याख्याता जीव विज्ञान के रिक्त पद से।
2.	संतोष कुल्हार-शहीद हनुमान सिंह राजमावि शीशियां, झुञ्जूनू	माह मार्च 2021 से मई 2021 तक	शहीद हनुमान सिंह राजमावि शीशियां, झुञ्जूनू में व्याख्याता इतिहास के रिक्त पद से।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक— 27 / 05 / 2021

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-6/रावि/वेतन व्यवस्था/2018  
प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..... |
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा..... |
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..... |
4. संबंधित प्रधानाचार्य ..... |
5. संबंधित कार्मिक..... |
6. रक्षित पत्रावली |

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेशः

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापकों (रणूल शिल्हा) को उनके नाम के साथ अधिकारी अवधि का वेतन ग्रौलम संख्या-04 में अधिकारी रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की रवीकृति प्रदान की जाती है -

सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय	अवधि	जहाँ से वेतन आहरित किया जाता है
1	श्री बलदीर राउमायि, खुड़ाला, लूणी, जोधपुर	व्याख्याता जीव विज्ञान	मार्च 2021 से अप्रैल 2021 तक	राउमायि, घूघाड़ा, लूणी, जोधपुर (व्याख्याता पद के रिक्त पद के विरुद्ध)
2	श्रीमति भद्री राउमायि, तारपुरा जिला- रीवार	व्याख्याता रसायन विज्ञान	जनवरी 2021 से आगामी आदेशों तक	राउमायि, अजबपुरा, पिपराली, सीजर (व्याख्याता पद के रिक्त पद के विरुद्ध)

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक: 27.05.21

क्रमांक:-शिविरा/मा/संरथा/सी-4/रजीगु/वेतन-व्यवस्था/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक)।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. सम्बन्धित प्रधानाधार्य.....।
5. सम्बन्धित कार्मिक.....।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कार्यालय हाजा, कम्प्युटर अनुभाग।
7. रहित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर